

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर

(दूरभाष नम्बर:-0141-2740735 फ़ैक्स नम्बर:- 0141-2742309)

क्रमांक एफ.3 (ख) (1) परीक्षा-2011/अलेसे-11/18231-35
श्री महेन्द्र सिंह भाटी पुत्र श्री गोपीकिशन,
पुराने पावर हाउस के पीछे,

दिनांक : 09 जनवरी 2014

सिलावटा रोड, जैसलमेर-345001
(मेरिट क्रमांक 134/2011)

विषय:- लेखाकार पद पर कार्यग्रहण करने के सम्बन्ध में अंतिम नोटिस।

प्रसंग:- निदेशालय का नियुक्ति आदेश क्रमांक 204/2013-14 दिनांक 21.08.2013, पत्रांक 11750-55 दिनांक 11 नवम्बर 2013 एवं पत्रांक 17976 दि० 05.12.2013

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित लेखाकार (संयुक्त प्रतियोगी) सीधी भर्ती संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2011 का संशोधित परीक्षा परिणाम जारी करने के बाद आयोग द्वारा संशोधित रिजल्ट में सफल/चयनित घोषित किए पर चयनित सूची विभाग में उपलब्ध कराए जाने के उपरान्त विभागीय आदेश क्रमांक 204/2013-14 दिनांक 21.08.2013 द्वारा आपको लेखाकार पद पर नियुक्ति प्रदान की जाकर कार्यालय खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिला जैसलमेर में पदस्थापन के आदेश जारी कर दिनांक 05 सितम्बर 2013 तक कार्यग्रहण करने के आदेश जारी किए गए थे, किन्तु विभागीय आदेशों की अनुपालना में आपके द्वारा लेखाकार पद पर कार्यग्रहण नहीं किया गया। पुनः विभागीय पत्रांक 11750-55 दिनांक 11 नवम्बर 2013 द्वारा आपको दिनांक 20 नवम्बर 2013 तक एवं उसके उपरान्त पत्रांक 17976 दिनांक 05 दिसम्बर 2013 द्वारा अपने पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करने हेतु नोटिस जारी किया गया, किन्तु आपके द्वारा आदिनांक तक विभागीय आदेशों की पालना नहीं की गयी है।

अतः आपको अंतिम अवसर प्रदान करते हुए निर्देशित किया जाता है दिनांक 20 फरवरी 2014 तक आवश्यक रूप से कार्यालय खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिला जैसलमेर में कार्यग्रहण कर विभाग को अवगत करावें। उक्त दिवस तक अपने पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण नहीं करने की स्थिति में आपके लेखाकार पद पर किए गए नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे।

(वीरबाला जोशी)
निदेशक

दिनांक : 09 जनवरी 2014

क्रमांक एफ.3 (ख) (1) परीक्षा-2011/अलेसे-11/18231-35

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. शासन सचिव, वित्त(राजस्व) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिला जैसलमेर को प्रेषित कर लेख है कि सम्बन्धित अभ्यार्थी द्वारा आपके कार्यालय में उपस्थिति देते समय राजस्थान सेवा नियमों के नियम 10 के अनुसार निर्धारित स्वास्थ्य परीक्षा प्रमाण पत्र जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा उससे उच्च पद के चिकित्सा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही उपस्थिति स्वीकार की जावे तथा कार्यग्रहण रिपोर्ट इस विभाग को भिजवाने की व्यवस्था करावें।
4. श्री महेन्द्र सिंह भाटी पुत्र श्री गोपीकिशन, पुराने पावर हाउस के पीछे, सिलावटा रोड, जैसलमेर-345001 को प्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि वे दिनांक 20 फरवरी 2014 तक विभागीय आदेशों की अनुपालना में निर्धारित नियुक्ति/पदस्थापन स्थान पर कार्यारम्भ कर कार्यारम्भ रिपोर्ट सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
5. उपनिदेशक (सीपी) कम्प्यूटर अनुभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने तथा पीआईएस रिकार्ड संधारण हेतु।
6. निजी सहायक, निदेशक महोदया।
7. गैरनीय शाखा।
8. रक्षित/निजी पत्रावली।

(कै. एम. मीणा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I)